

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2019/ 2490 दिनांक : 3-6-2020
निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Higlot to
Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.
(Proposal No. FP/RJ/Road/10911/2015)

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
(मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्रांक 8 बी/राज0/06/35/2015/एफ.सी./
629 दिनांक 08.05.2020 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक ऑनलाईन ई0डी0एस0 (भारत सरकार के पूर्व पत्रांक 629 दिनांक 08.05.2020) से चाही गयी वांछित सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक बारां ने पत्र संख्या 4830 दिनांक 20.05.2020 (प्रति संलग्न) से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट की है:-

प्रकरण में 2.27 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 2.27 है0 में से 1.30 है0 भूमि पर (गैर वनभूमि पर) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान श्रमिक दर रूपये @ 1,64,100/- अनुसार तैयार कर संलग्न प्रेषित की है। अवशेष 0.97 है0 गैर वनभूमि पर चूंकि 1067 पौधे लगने हैं, जो परिभ्रांषित वनक्षेत्र में लगाये जाने प्रस्तावित है। परिभ्रांषित वनक्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल 700 पौधे प्रति है0 अनुसार 1067 पौधे 1.53 है0 (परिभ्रांषित वनभूमि में) रोपित किये जावेंगे। तदानुसार 1.53 है0 वनभूमि पर वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न प्रेषित की है। परिभ्रांषित वनक्षेत्र हेतु उपलब्ध मॉडल 700 पौधे प्रति है0 का है अतः 1067 पौधे 1.53 है0 में लगाये जावेंगे। अतः अवशेष पौधे हेतु 1.53 है0 वनभूमि पर परिभ्रांषित वनक्षेत्र के मॉडल के अनुरूप वर्तमान श्रमिक दर रूपये @ 1,36,830/- अनुसार तैयार कर संलग्न प्रेषित की है।

उपरोक्तानुसार ही आपके पत्रांक एफ 14()2015/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं /2459 दिनांक 10.07.2019 से बिन्दु संख्या-5 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज लखनऊ को वस्तुस्थिति से अवगत कराया हुआ है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आनन्द मोहनं)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2019/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in . Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/ 4830 दिनांक 20/5/2020
निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- डायवर्जन आफ 2.27 है0 आफ फोरेस्ट लैंड फोर कन्ट्रक्शन आफ
रोड फ्रॉम हींगलोट टू मदनाखेडी इन राजस्थान इन बारां फोरेस्ट
डिवीजन ।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य का पत्रांक स08वीं/राज/06/35/2015/एफ.सी./629 दिनांक 08.05.
2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 08.03.2020 तथा 8718 दिनांक
26.08.19 एवं 12439 दिनांक 24.12.19 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र जो आपको संबोधित है के क्रम में निवेदन है
की उक्त प्रकरण में 2.27 है0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना वर्तमान श्रमिक
दर 213 पर ही तैयार कर प्रेषित की गई थी उक्त 2.27 है0 भूमि में से ही 1.30 है0 गैर वन
भूमि ही वृक्षारोपण योग्य होने से 1.30 है0 हेतु एन.एफ.एल मॉडल के अनुरूप तथा अवशेष
लगाये जाने वाले पौधों की संख्या के आधार पर फलित क्षेत्रफल 1.53 है0 मे परिभ्राषित वन
भूमि पर वृक्षारोपण मॉडल के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना वर्तमान दरों पर ही
बनाई गई थी। पूर्व में भी इस कार्यालय का पत्रांक 08.03.2020 तथा 8718 दिनांक
26.08.19 एवं 12439 दिनांक 24.12.19 से भिजवाई जा चुकी है। जिसकी प्रति
पुनःअग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न: उक्तानुसार

भवदीय

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक

बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/ 4831
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक 20/5/20

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन) एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक

बारां

**Details of Afforestation Scheme for remaining 1067 plants (1.53 DFL)
equivalent to remaining 0.97ha NFL.**

Full Title of the Project: – Hinglot to Madnakeri Road 2.27 ha Project in Baran District
File no: FP\RJ\Road\10911\2015
Date of Proposal: 14.03.2015


Details of year wise break up and requirement of funds is as under:-

| Year | Area in Ha. | Rate/Ha |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 0 year | 1.53 | 38498 |
| 1 st year | 1.53 | 35500 |
| 2 nd year | 1.53 | 11179 |
| 3 rd year | 1.53 | 5165 |
| 4 th year | 1.53 | 5165 |
| 5 th year | 1.53 | 5165 |
| 6 th year | 1.53 | 5165 |
| 7 th year | 1.53 | 5165 |
| 8 th year | 1.53 | 5165 |
| 9 th year | 1.53 | 5165 |
| 10 th year | 1.53 | 5165 |
| 11 th year | 1.53 | 5165 |
| 12 th year | 1.53 | 5165 |
| Total | | 136830 |
| Total for 1.53 ha | 1.53haX136830 | 209350 |

Technical details: -

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows

- a) 700 plants will be planted per hectare.
- b) Spacing : 4mx3m
- c) Species : Local thorny and broad leaved species e.g. Deshi babool, Neem, Ber, Anvala etc.
- d) Plantation method : Digining pit of size 45x45x45cm and Planting plants raised in near by nursery.
- e) Soil and Moisture Conservation Works: Contour trenches, V-ditch, check dams etc.
- f) Protection (Fencing, watch Man, Peoples participation etc): Area will be ditch fenced and protected by providing watch man engaged by VFPMC.
- g) Proposed Monitoring Mechanism: Planation will be monitored at various level Forest Officers in the division as well as Planning and monitoring team at circle and state level .
- h) Any other information:-


 (Dy. Conservator of Forests)
 DY. CONSERVATOR OF FORESTS
 BARAN

Details of Afforestation Scheme on available 1.30 ha area out of proposed 2.27ha NFL (1430 plants out of 2497 plants),

Full Title of the Project: – Hinglot to Madnakeri Road 2.27 ha Project in Baran District File no: FP\RJ\Road\10911\2015

Date of Proposal: 14.03.2015

Details of year wise break up and requirement of funds is as under:-

| Year | Area In Ha. | Rate/Ha |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 0 year | 1.3 | 46095 |
| 1 st year | 1.3 | 54256 |
| 2 nd year | 1.3 | 15569 |
| 3 rd year | 1.3 | 4817 |
| 4 th year | 1.3 | 4817 |
| 5 th year | 1.3 | 4817 |
| 6 th year | 1.3 | 4817 |
| 7 th year | 1.3 | 4817 |
| 8 th year | 1.3 | 4817 |
| 9 th year | 1.3 | 4817 |
| 10 th year | 1.3 | 4817 |
| 11 th year | 1.3 | 4817 |
| 12 th year | 1.3 | 4817 |
| Total | | 164089 |
| Say | | 164100 |
| Total for 2.68 ha | 1.3haX164100 | 213330 |

Technical details: -

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows

- 1100 plants will be planted per hectare.
- Spacing : 3mx3m
- Species : Local thorny and broad leaved species e.g. Deshi babool, Neem, Ber, Anvala etc.
- Plantation method : Digging pit of size 45x45x45cm and Planting plants raised in near by nursery.
- Soil and Moisture Conservation Works: Contour trenches, V-ditch, check dams etc.
- Protection (Fencing, watch Man, Peoples participation etc): Area will be ditch fenced and protected by providing watch man engaged by VFPMC.
- Proposed Monitoring Mechanism: Planation will be monitored at various level Forest Officers in the division as well as Planning and monitoring team at circle and state level .
- Any other information:-


 (महेश चन्द गुप्ता)
 जय प्रकाश नगर
 डी.कॉन्सर्वटोर ऑफ फॉरेस्ट्स
 बरान